UPLL010023712026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, ललितपुर।

उपस्थित– यादवेन्द्र सिंह–I, उच्चतर न्यायिक सेवा,

J.O. CODE– UP–6123

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 631 वर्ष 2026,

अभिषेक यादव उर्फ मोन्टी पुत्र पुत्र लक्ष्मन निवासी मनोज आटा चक्की के पास आजादपुरा ललितपुर हाल निवासी पनारी नहर के पास थाना कोतवाली ललितपुर व जिला ललितपुर ।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य **.....अभियोजन पक्ष**

एस.टी सं० 170/2019

अपराध सं० 578/2019

धारा 379, 411,413 व 414 भा.दं.सं.

थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।

दिनांकः 02.07.2026

अभियुक्त/आवेदक **अभिषेक यादव उर्फ मोन्टी** की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र एस.टी सं० 170/2019, अपराध सं० 578/2019 **स्टेट ऑफ यू.पी.** बनाम विन्द्रावन आदि **अंतर्गत धारा 379, 411,413 व 414 भा.दं.सं.** थाना **कोतवाली** ललितपुर जिला ललितपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियुक्त/आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2026 को निरस्त कर दिया गया तभी से अभियुक्त इस मामले में जेल में निरूद्ध है। इसके बाद से अनेक तिथि नियत हो चुकी है किन्तु, अभियोजन की ओर से कोई साक्षी साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नही आ रहा है और न ही बुलाया गया है। इस मध्य एक माह का समय व्यतीत हो चुका है। भविष्य में भी साक्ष्य होने की कोई संभावना नही है। अभियुक्त के जेल में रहने से उसके घर की व्यवस्था कोई नही देख पा रहा है और उसकी माँ बीमार बनी रहती है। अभियुक्त की अन्य मामलो में जमानत हो चुकी है मात्र इसी प्रकरण में अभियुक्त निरूद्ध चल रहा है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जमानत के लिये आर्थिक रूप से पैरवी करने में समक्ष नही है। इसी कारण अभियुक्त अब तक जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त भविष्य में न्यायालय में उपस्थित रहेंगा और कोई लापरवाही नही करेंगा।इसी आधार पर अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किया गया है कि यदि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया तो अभियुक्त पुनः न्यायिक कार्यवाही से अनुपस्थित हो जायेगा। पूर्व में इस अभियुक्त

Digitally signed by YADAVENDRA SINGH
Date: 2026.07.06 19:12:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की जमानत इसी न्यायालय द्वारा निरस्त की गयी है। इसी आधार पर अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4. जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

5. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2026 को निरस्त कर दिया गया तभी से अभियुक्त इस मामले में जेल में निरूद्ध है। इसके बाद से अनेक तिथि नियत हो चुकी है किन्तु, अभियोजन की ओर से कोई साक्षी साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नही आ रहा है और न ही बुलाया गया है। इस मध्य एक माह का समय व्यतीत हो चुका है। भविष्य में भी साक्ष्य होने की कोई संभावना नही है। अभियुक्त के जेल में रहने से उसके घर की व्यवस्था कोई नही देख पा रहा है और उसकी माँ बीमार बनी रहती है। अभियुक्त की अन्य मामलो में जमानत हो चुकी है मात्र इसी प्रकरण में अभियुक्त निरूद्ध चल रहा है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जमानत के लिये आर्थिक रूप से पैरवी करने में समक्ष नही है। इसी कारण अभियुक्त अब तक जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त भविष्य में न्यायालय में उपस्थित रहेंगा और कोई लापरवाही नही करेंगा। इसी आधार पर अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में कथन किया गया है कि इस प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया और न ही खारिज हुआ है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। दिनांक 01.03.2026 को अभियुक्त **अभिषेक** के गैर हाजिर हो जाने के कारण उसके विरूद्ध एन.बी.डब्लू. जारी किया गया, जो कि लगातार दिनांक 05.01.2025 तक जारी रहा। अभियुक्त **अभिषेक** का निजी बंधपत्र जब्त करते हुये उसके जामिनदारो को नोटिस जारी की गयी। दिनांक 16.02.2026 को अभियुक्त **अभिषेक** की ओर से बगैर उपस्थित हुये वारंट रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि निरस्त किया गया। इसके उपरांत अभियुक्त **अभिषेक** के वारंट पर प्राप्त आख्या के अनुसार अन्य मामले में जिला कारागार में निरूद्ध होने पर तलब कर धारा 346 बी.एन.एस.एस. का वारंट बनाकर जिला कारागार भेजा गया। दिनांक 02.06.2026 को इस प्रकरण से संबंधित अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ मोंटी व सीताराम जरिये हिरासत उपस्थित आये परन्तु, सह अभियुक्त आमीर के लंबे समय से गैर हाजिर रहने के कारण, अभियुक्त आमीर की पत्रावली पृथक की गयी। अभियुक्त अभिषेक उर्फ मोंटी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2026 को निरस्त कर किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने के उपरांत प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 04 साक्षी पी0 डब्लू0 1 मनोज झाँ, पी0 डब्लू0 2 दीपक कुमार जैन, पी0 डब्लू0 3 निरीक्षक यशवंत सिहं व पी0 डब्लू0 4 सेवानिवृत्त H.C. रामविलास वर्मा को परीक्षित कराया जा चुका है।

7. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त की अन्य मामले में जमानत हो चुकी है अभियुक्त मात्र इसी प्रकरण में जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति दयनीय है तथा अभियुक्त की माँ भी बीमार बनी रहती है। अभियुक्त जमानत पर छुटने के उपरांत प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगा तथा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही करेगा।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

9. अभियुक्त/आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त की ओर से मुबलिग 75000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की **<u>दो विश्वसनीय एवं स्थानीय प्रतिभू</u>** दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(i) अभियुक्त की ओर से इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल की जाये कि अभियुक्त बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से एवं आगामी प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा मार्फत अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा साक्षी के उपस्थित होने पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

(ii)– अभियुक्त के विरूद्ध जिस अपराध का आरोप लगाया गया है, उस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न ही दौरान विचारण साक्षियों को किसी भी तरह से प्रभावित करेगा।

(iii)– अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति या साक्षी को न्यायालय व पुलिस के समक्ष तथ्यों को प्रकट न करने के लिए उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

(यादवेन्द्र सिंह–I),
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
ललितपुर।
J.O. CODE– UP–6123